केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./शै./अ.नि.(अ.एवं न.)/2015 **परिपत्र संख्या. शैक्षणिक-50/2015**

दिनांक: 24 अगस्त, 2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय: वर्ष 2015-16 के लिए कक्षा IX और X के लिए संकलित मूल्यांकन-I(एस.ए.I) शैक्षणिक सत्र 2015-16

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

1. के.मा.शि.बो. से सम्बद्ध विद्यालयों की कक्षा IX और X के लिए स्कूल आधारित मूल्यांकन क्रियान्वित है। इस स्कीम के अनुसार एक शैक्षिक वर्ष में चार रचनात्मक मूल्यांकन और दो संकलित मूल्यांकन किए जाते हैं। इस शैक्षिक वर्ष के लिए कक्षा IX और X का पहला संकलित मूल्यांकन (एस.ए.I) सितम्बर 2015 के दूसरे पखवाड़े में किया जाएगा।
2. कक्षा IX और X के संकलित मूल्यांकन I के लिए निम्नलिखित को नोट किया जाए:
   क) कक्षा IX और X के विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम और प्रश्न प्रत्र का डिज़ाइन संकलित मूल्यांकन के लिए वही होगा जो के.मा.शि.बो. की वेबसाइट www.cbseacademic.inपर उपलब्ध है।
   ख) पूर्ववत् की तरह संकलित मूल्यांकन I लिखित परीक्षा के रूप में स्कूलों द्वारा अपने स्तर पर आयोजित की जाएगी।
   ग) मूल्यांकन के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड विद्यालयों को निम्नलिखित मुख्य विषयों में ऑनलाइन प्रश्न बना सकने में सहयोग देगा:
   - अंग्रेजी कम्युनिकेटिव (कोड नं: 101)
   - अंग्रेजी लैंग्युएज एन्ड लिट्रेचर (कोड नं: 184)
   - हिन्दी पाठ्यक्रम A (कोड नं: 002)
   - हिन्दी पाठ्यक्रम B (कोड नं: 085)
   - गणित (कोड नं: 041)
   - विज्ञान (कोड नं: 086)
   - सामाजिक विज्ञान (कोड नं: 087)
   - कम्यूनिकेटिव संस्कृत (कोड नं: 122)

   घ) दी गई तालिका के अनुसार अंक देने की पद्धति को ऑनलाइन जेनरेट करके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विद्यालय के शिक्षकों द्वारा स्वयं किया जाएगा विद्यालय स्थल मूल्यांकन के लिए सहोदय क्लस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि अन्य विद्यालयों के शिक्षक भी सम्मिलित हों।
   ङ) बोर्ड के कार्मिकों/नामित सदस्यों द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया का बिना क्रम के जाँच की जाएगी

अन्य विषय/भाषाओं के संबध में विद्यालय स्वयं अपना प्रश्नपत्र तैयार करेंगे

3. प्रत्येक विद्यालय को विशिष्ट प्रश्नपत्र साफ्टवेयर से ऑनलाइन जनरेट किये गए की दो प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
4. a. ITMS से डाउनलोड कर विद्यालय द्वारा प्रत्येक विषय के लिए एक प्रश्नपत्र चुना जाएगा।
   b. ITMS से विद्यालय द्वारा डाउनलोड किए गए दो प्रश्नपत्रों को मिश्रितकर मिलान किया जाना है

c. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट (http://www.cbseacademic.in) पर उपलब्ध डिजायन के अनुसार स्वयं का प्रश्नपत्र तैयार करें, तथापि संबंधित प्रश्नपत्र की परीक्षा हो जाने के बाद प्रश्न पत्र और अंक प्रदान करने की योजना के बारे में बोर्ड को ई-मेल summative.exam@cbsemail.in पर भेज दें।

5. स्कूलों को प्रश्नपत्र और अंकन योजना वितरित करने के लिए बोर्ड वेब आधारित टेक्नालोजी प्रयोग करता रहा है और इसलिए समाधान स्वरूप 'CBSE Integrated Test Management System' विकसित किया है। के.मा.शि.बो. का ITMS एक ऐसा साधन है जो प्रश्न पत्र तैयार करने, मार्किंग और वितरण को स्वत: चालित बनाता है। इस नवाचार समाधान ने के.मा.शि.बो से सम्बद्ध विद्यालयों को प्रश्नपत्र डाऊनलोड करने को सुरक्षित, हितैषी और पारदर्शी पहुँच प्रदान की है। नए सम्बद्ध हुए विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से निवेदन है कि वे अनुलग्नक 1 को पढ़े और स्वयं को इस सिस्टम हेतु पंजीकृत करवाएं। पहले से पंजीकृत प्रधानाचार्यों को दोबारा पंजीकरण की आवश्कता नहीं है। पहले से प्रदान किया गया पासवर्ड और लॉगइन आई. डी. काम करेंगे।
5. कक्षा IXऔर X के विद्यालय आधारित परीक्षाओं के लिए प्रत्येक विद्यालय सहोदय समूह अथवा शहर अपनी अलग डेट शीट बना सकते हैं।
6. संकलित परीक्षा 1 आयोजित करने के लिए प्रश्नपत्रों और अंकन योजना की आपूर्ति करने का कार्यक्रम

ऑनलाइन पत्र की आपूर्ति	परीक्षा की तिथि	अंकन योजना की आपूर्ति
10 सितम्बर 2015	16 सितम्बर से आगे	21 सितम्बर 2015

सर्वर पर भीड को कम करने के लिए सुझाव दिया जाता है कि मूल्यांकन सामग्री डाऊनलोड करने के लिए अधोलिखित समय पर प्रयास किया जा सकता है।

क्रमांक	क्षेत्र के विद्यालय	डाऊनलोड करने का समय
1.	अजमेर	प्रात: 7:30 से 8:30 बजे तक
2.	इलाहाबाद और देहरादून	प्रात: 8:30 से 9:30 बजे तक
3.	चेन्नई	प्रात: 9:30 से 10:30 बजे तक
4.	दिल्ली	पूर्वाह्न: 10:30 से 11:30 बजे तक
5.	गुवाहाटी और पटना	पूर्वाह्न: 11:30 से 12:30 बजे तक
6.	भुवनेश्वर और त्रिवेन्द्रम	मध्याह्न: 12:30 से 1:30 बजे तक
7.	पंचकूला	मध्याह्न: 1:30 से 2:30 बजे तक

प्रधानाचार्यों से निवेदन है कि प्रश्नपत्र और अंकन योजना डाऊनलोड करते समय वे अनुलग्नक II में दिए कदमों का अनुसरण करें।

8. स्कूलों को वांछित प्रश्नपत्रों (उपर पैरा 4 को देखें) के प्रिन्टआऊट्स की आवश्यकता होगी, इस लिए अपनी आवश्यकता अनुसार वे स्कूल के स्तर पर ही इनके प्रिन्ट आऊट्स/फोटोप्रतियां तैयार कर सकते हैं। इन प्रश्नपत्रों की गोपनीयता को बनाए रखते हुए सावधानी से रखा जाना चाहिए।
9. दोबारा इस बात को नोट करना चाहिए कि बोर्ड कक्षा IX और X के लिए प्रश्न पत्र इस लिए तैयार करके ऑनलाइन भेज रहा है ताकि समरुपता और स्तर बना रहे। हितधारकों से प्राप्त सुझावों और फीडबैक के आधार पर, यदि ज़रूरत हुई तो बोर्ड अपनी नीति को भविष्य में समीक्षा कर सकता है।
10. कृपया नोट करें कि कक्षा IX और X की संकलित परीक्षा I की उत्तर पुस्तिकाएं किसी भी स्थिति में बोर्ड को न भेजी जाएं। यद्यपि इन को बोर्ड के 28-6-2012 के परिपत्र में दिए गए विवरण अनुसार सुरक्षित ढंग से रखा जाना चाहिए।
11. प्रश्न प्रत्र और अंकन योजना दोनो ही एम.एस.वर्ड फार्मेट तथा पीडीएफ फार्मेट में उपलब्ध होंगे। ऐसा इस लिए किया गया कि यदि आवश्यकता हो तो विद्यालय प्रश्नपत्र को बदल सके।

यह अनिवार्य है के कोई भी विद्यालय त्रटिपूर्ण प्रश्नपत्र का उपयोग न करे। स्कूल के प्रधानाचार्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयुक्त फॉन्ट डाऊनलोड और इन्स्टाल की जाए ताकि कक्षा IX व X (SA-I) के प्रश्नपत्र सही ढंग से पढ़ा जा सके। परीक्षा लेने से पूर्व प्रश्नपत्र को अच्छी तरह से जाँच लेना चाहिए। विसंगतियां पाए जाने पर अधोलिखित अधिकृत अधिकारियों को ब्यौरा भेजना चाहिए।

प्रशासनिक सहायता के लिए:

श्री सचिन ठाकुर, सहायक सचिव, दूरभाष 011-23324399,

ईमेल : summative.exam@cbsemail.in

तकनीकी सहायता के लिए:

श्री पी मीरन मिदीन, प्रोजेक्ट एसोसिएट (तकनीकी) दूरभाष नं: 011-23324398

ईमेल itmscbse@gmail.com

12. निवेदन है कि सभी स्कूलों को इस परिपत्र को पढ़नेके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम को लॉगइन करना चाहिए कि उन्हें सिस्टम के लिए आवश्यक पासवर्ड याद है। सभी स्कूल सिस्टम में अपने विवरण को, विशेष रूप से प्रधानाचार्य का नाम और दूरभाष नम्बर को अद्यतन कर लें।

सुगंध शर्मा
अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैंट-110010.
12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु।
13 एसोसिऐट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
15 सभी एसोसिऐट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
20 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)